विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : **154**/वि0स0/संसदीय/**19**(सं)/2022

लखनऊ : दिनांक **26 मार्च,** 2022

प्रेषक,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

विषय :-अध्यक्ष, विधान सभा का निर्वाचन।

महोदय/महोदया,

मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद-178 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-8 (1) के अन्तर्गत मा0 राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष-पद के निर्वाचन के लिये **मंगलवार, दिनांक 29 मार्च, 2022** की तिथि निर्धारित की है। तद्नुसार विधान सभा मण्डप में उक्त निर्वाचन दिनांक **29 मार्च, 2022** को अपराह्न **03:00** बजे से आरम्भ होगा। इस सम्बन्ध में उक्त नियमावली के नियम-8 (प्रति संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि अध्यक्ष-पद के लिये नाम-निर्देशन-पत्र उचित रूप से भरने के उपरान्त **सोमवार, दिनांक 28 मार्च, 2022** के अपराह्न 02:00 बजे के पूर्व मुझे उपलब्ध करा दिये जायँ। आपका ध्यान नियम-8 (4) की ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार यह आवश्यक है कि नाम-निर्देशित सदस्य तथा उनके प्रस्थापक व समर्थक उपर्युक्त नियम के उपनियम (3) के अन्तर्गत नामों के पढ़े जाने के पूर्व सभा के सदस्य के रूप में शपथ-ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान कर लें अन्यथा नाम-निर्देशन-प्रपत्र नियमानुसार नहीं माना जायेगा। उक्त नाम-निर्देशन-प्रपत्र की प्रति संलग्न है।

संलग्नक :-यथोक्त।

भवदीय,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 का नियम-8

8-अध्यक्ष का निर्वाचन-(1) अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को किया जायेगा जो कि राज्यपाल नियत करें और प्रमुख सचिव उसकी सूचना प्रत्येक सदस्य को भेजेंगे :

परन्तु सभा की अवधि में होने वाली रिक्तता की दशा में इस प्रकार नियत तिथि-

(क) यदि सभा उस समय उपवेशन में हो तो रिक्तता होने के, तथा

(ख) यदि वह उपवेशन में न हो तो उस दिनांक के, जब सभा तदुपरान्त पहली बार समवेत् हो,

पन्द्रह दिनों के भीतर होगी।

(2) इस प्रकार उप नियम (1) के अधीन नियत की गयी तिथि के पूर्व दिन के मध्याह्न से पहले किसी समय कोई सदस्य निर्वाचन के लिए किसी दूसरे सदस्य का नाम-निर्देशन प्रमुख सचिव को एक नाम-निर्देशन-पत्र देकर कर सकेंगे जिस पर प्रस्थापक के रूप में उस सदस्य के हस्ताक्षर तथा समर्थक के रूप में किसी तीसरे सदस्य के हस्ताक्षर हों और जिसमें नाम-निर्देशित सदस्य के नाम का उल्लेख हो और उसके साथ उस सदस्य का, जिसका नाम प्रस्थापित किया गया है, कथन संलग्न होगा कि निर्वाचित होने पर वह सदस्य/अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है।

(3) (क) निर्वाचन की तिथि नियत होने पर, नयी सभा की दशा में राज्यपाल द्वारा नियुक्त सदस्य तथा किसी दूसरी दशा में उपाध्यक्ष या यथास्थिति पीठासीन सदस्य उन सदस्यों के नामों को, जिनका विधिवत् नाम-निर्देशन हुआ है, उनके प्रस्थापकों और समर्थकों के नामों के साथ सभा में पढ़कर सुनायेंगे। निर्वाचन के पूर्व किसी भी समय कोई अभ्यर्थी जो इस प्रकार नाम-निर्देशित हुए हों, पीठासीन अधिकारी को इस विषय में मौखिक या लिखित रूप से सूचना देकर अपना नाम निर्वाचन से वापस ले सकेंगे। यदि वापसी के उपरान्त, अगर कोई हो, एक ही सदस्य का नाम-निर्देशन शेष रहता है तो वह निर्वाचित घोषित किये जायेंगे और इसके लिए औपचारिक प्रस्ताव करना आवश्यक न होगा।

(ख) यदि एकाधिक सदस्यों का नाम-निर्देशन शेष रहता है तो पीठासीन सदस्य उन सदस्यों को जिनके नाम में प्रस्ताव विद्यमान हों, प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए एक-एक करके पुकारेंगे और प्रस्तावक अपने को एतद्विषयक कथन तक ही सीमित रखेंगे।

(4) उप नियम (3) के प्रयोजन के लिए किसी सदस्य को विधिवत् नाम-निर्देशित नहीं समझा जायेगा, यदि उक्त उप नियम के अन्तर्गत नामों के पढ़े जाने के पूर्व उन्होंने अथवा उनके प्रस्थापक या समर्थकों ने सभा के सदस्य के रूप में शपथ नहीं ली हो, या प्रतिज्ञान नहीं किया हो।

(5) प्रत्येक प्रस्ताव पर मतदान शलाका द्वारा किया जायेगा। जब दो से अधिक सदस्यों का नाम-निर्देशन हुआ हो और प्रथम शलाका में कोई अभ्यर्थी अन्य अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मतों के योग से अधिक मत प्राप्त न कर पाये तब उस अभ्यर्थी को, जिसने न्यूनतम मत प्राप्त किये हों निर्वाचन से अपवर्जित कर दिया जायेगा और पुनः शलाका की जायेगी। प्रत्येक शलाका के अन्त में न्यूनतम मत पाने वाले अभ्यर्थी का नाम अपवर्जित कर दिया जायेगा और ऐसा उस समय तक होता रहेगा जब तक कोई अभ्यर्थी शेष अभ्यर्थी के मतों की, या यथास्थिति शेष अभ्यर्थियों के मतों के योग की अपेक्षा अधिक मत प्राप्त न कर ले।

(6) जब किसी शलाका में दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर संख्या में मत प्राप्त करें तब पर्ची डालकर यह निश्चित किया जायेगा कि उप नियम (5) के अन्तर्गत किस अभ्यर्थी को अपवर्जित किया जाये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष के निर्वाचन का नाम-निर्देशन-पत्र

मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य श्री --- जो ------------------- निर्वाचन क्षेत्र, जिला ---------------------------- से निर्वाचित हुए हैं, का नाम विधान सभा के अध्यक्ष-पद के निर्वाचन के लिए प्रस्तावित करता हूं।

प्रस्थापक के हस्ताक्षर-------------------

स्थान-------------------- सदस्य, विधान सभा,

तिथि ------------------- जिला -----------------------------------

समर्थक के हस्ताक्षर -----------------

स्थान-------------------- सदस्य, विधान सभा,

तिथि ------------------- जिला -----------------------------------

मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष-पद के लिए निर्वाचित हो जाने की दशा में उक्त पद पर कार्य करने के लिए तैयार हूं।

नाम-निर्देशित अभ्यर्थी के हस्ताक्षर------------

स्थान-------------------- सदस्य, विधान सभा,

तिथि -------------------

पी0एस0यू0पी0-एल0 277 विधान सभा (447)-26-03-2022-500 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।